

**एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशन कार्ड में यूनिट संशोधन
पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन फार्म प्रपत्र – ब**

प्राप्ति व

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

आवेदन संख्या/दिनांक

प्रोएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्ड में जारी यूनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन फार्म प्रपत्र

1. सम्बन्धित विवरण : '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।

राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)											
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम											
मुखिया के पिता का नाम				माता का नाम				फोटो आवेदक (मुखिया)			
मोबाइल नम्बर											
ई.गोत्र वर्ता											
राशन कार्ड में दर्ज पता		मकान नम्बर/मकान का नाम				गैरहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकलिटी					
पंचायत समिति (केवल अपेक्षा के हैं तभी)		ग्राम पंचायत: (केवल अपेक्षा के हैं तभी)				ग्राम/वार्ड सं (केवल अपेक्षा के हैं तभी)				आवेदक के हस्ताक्षर	
लगत निवासन नम्बर/परिवदः (केवल अपेक्षा के हैं तभी)		लगत निवासन नम्बर/परिवदः (केवल अपेक्षा के हैं तभी)				जिला: (केवल अपेक्षा के हैं तभी)					
						पिन नम्बर					

2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित भूल्य दुकान से नाम दुकानदार..... का या जो विस्तृप्त हो/ गुम/फट
गया है। आतः डुप्लिकेट जारी करें। खोये हुए राशन कार्ड की फोटोप्रिति/कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड मिलने पर मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैंने राशन कार्ड खोने की सूचना भी सम्बंधित उचित भूल्य दुकानदार को दे दी है।

3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता/करती हूँ कृपया जिम्मानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें।

राशन कार्ड में चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।		मकान नम्बर/मकान का नाम				गैरहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकलिटी			
नवा पता '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।									
पंचायत समिति (केवल अपेक्षा के हैं तभी)		ग्राम पंचायत: (केवल अपेक्षा के हैं तभी)				ग्राम/वार्ड सं (केवल अपेक्षा के हैं तभी)			
लगत निवासन नम्बर/परिवदः (केवल अपेक्षा के हैं तभी)		लगत निवासन नम्बर/परिवदः का वार्ड नम्बर: (केवल अपेक्षा के हैं तभी)				जिला: (केवल अपेक्षा के हैं तभी)			
						पिन नम्बर			

विंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति/कच्ची बस्ती सर्वे युक्त सम्पत्ति/मेरे किराये के मकान में निवास करता हूँ।

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

4. मैं जिम्मानित नामों को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	पता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम यदि दिवाहित है तो	लिंग* M/F/Other	जन्म दिनांक * वर्ष/माह/दिन	मुखिया से संबंध*	यूनिट आईडी (UID) आधार क्रमांक	विकलांग (हानि)	विधवा/परिवरका (हानि)
1										
2										
3										
4										

नोट - '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

5. मैं जिम्मानित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	लिंग* M/F/Other	मुखिया से संबंध*	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
1					
2					
3					
4					
5					
6					

नोट - '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

6. राशनकार्ड की विशिष्टियों की बुटियों में परिवर्धन/संशोधन - उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, भ्रष्टांकरण सम्बन्धी प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की प्रविष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध में संलग्न कलाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में अशुद्धिवांछित परिवर्धन योग्य विशिष्ट पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्ट रूपये के हस्ताक्षर से अहिन्दी की जबै तथा मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जावे। यदि बुट आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से निवाज करती है तो आवेदक ने परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तोवज प्रस्तुत करने हैंगे।

परिवर्धनसंशोधन का संशिप्त विवरण-

7. घोषणाएँ:-

नोट- पैचास जब जो बिंदु लागू नहीं हो उसे काट देवे।

- (क) मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांक है। मेरे राशन कार्ड में “मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ” अंकित है जिसके स्थान पर लिखा जावे क्यों कि मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।
- (ख) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं. गैस एजेन्टी डीवीसी/एसडीसी अंकित है फ्रिसके स्थान पर गैस कनेक्शन नं. गैस एजेन्टी डीवीसी/एसडीसी अंकित किया जावे वह मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बद्धित प्रविष्टि हटाई जावे।
- (ग) मेरा नाम बीपीएल चयन सूची वर्ष क्रमांक वार्ड बी/अन्त्योदय सूची वर्ष क्रमांक वार्ड में है फिल्टर मुझे श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझे श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जावे।
- (घ) इस प्रधन के बिंदु 4 में दांगेत सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया गया ही न है कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- (इ) इस प्रधन के बिंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी जिजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।
- (ब) इस प्रधन के बिंदु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परिवर्यक्ता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई हेते के कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री रिश्ते में मेरे (मृतक से सम्बन्ध) हैं, इनकी मृत्यु के बाद मैं ही वह मेरी उपयोग राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवर्त नुखिया के रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करूँ।
- (ज) इस प्रधन के बिंदु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित विशिष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन कार्ड में शुद्ध किया जावे।
- (ज) मैं ग्राह ने परिवार राशनकार्ड का उपयोग राशन वस्तुये प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।
- (झ) मुझे पत है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूँगा। तथ्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गतत सूचना पाये जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है हत्थ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (ञ) इस प्रधन के बिंदु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुगाया नहीं गया है।

स्वाम

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक

अन्यापन

इस प्रधन के बिंदु 3 हेतु मैं दिए गए मकान के पते पर श्री.....पुत्र श्री.....परिवार सहित अवधि..... से निवास कर रहे हैं। यह मकान मेरी जिजी सम्पत्ति है। (बिंदु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है)

हस्ताक्षर मकान नामिक

कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही

चैक लिस्ट

क्या आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं, मकान मालिक के हस्ताक्षर एवं फोटो सहित प्रस्तुत किया है?

हाँ/नहीं

संलग्न दस्तावेजों का विवरण:-

- पूर्ण वर्त राशनकार्ड अप्रिस्टीकरण बाधत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र। हाँ/नहीं
- निवास बात प्रमाण यथा विजली/पानी विल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, बोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति। हाँ/नहीं
- नवनिवासित का नाम दर्ज करने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र। हाँ/नहीं
- बच्चे का नाम दर्ज करने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चा गोद लेने के सटीफिकेट की प्रति। हाँ/नहीं
- ट्रसीवेट राशनकार्ड हेतु पूर्ण प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/शपथ पत्र। या कटा/फटा/विरुपित राशनकार्ड। हाँ/नहीं
- मूल राशन कार्ड। हाँ/नहीं
- उमेर परिवर्तन करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। हाँ/नहीं
- नाम हटाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र। हाँ/नहीं
- अन्य..... संलग्नका की कुल पैज़ संख्या..... हाँ/नहीं
- नाम झुटाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र। हाँ/नहीं
- अन्य.....

हस्ताक्षर लिपिकाकियोस्क धारी